श्रम आयुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश

518, न्यू मोती बंगला, एम.जी. रोड़, इन्दौर–452007
Phone:- 0731-2432822, Fax :- 0731-2536600
Email :-lcmpenf@mp.gov.in Website:- http://labour.mp.gov.in

परिपत्र

क्रमांक:- 04/05/नवम/प्रवर्तन/2020/235 इन्दौर, दिनांक -30.06.2021

विषय - प्रवासी मजदूरों के कल्याण हेतुअंतर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन एवं सेवा शर्ते) अधिनियम, 1979 के अंतर्गत संस्थानों के पंजीयन एवं ठेकेदारों को अनुज्ञप्ति दिलाये जाने हेतु विशेष अभियान बाबद् ।

संदर्भ - (1) श्रम आयुक्त, कार्यालय का परिपत्र समसंख्यक पत्र क्र. 28393 दिनांक 31.07.2020 एवं क्रमांक 468 दिनांक 25.9.2020

(2) माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 29.06.2021

कृपया विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन कीजिए। माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के द्वारा याचिका क्र. wp (civil) No. (s) 6/2020 IN RE : PROBLEM AND MISERIES OF MIGRANT WORKERS. में आदेश दिनांक 29.06.2021 के माध्यम से ऐसे प्रवासी श्रमिक जो प्रदेश से बाहर जाते है, विशेष रूप से जो ठेकेदारों के माध्यम से ले जाए जाते है, ऐसे श्रमिकों को विधिक रूप से सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने एवं सतत् निगरानी के संबंध में समस्त संस्थानों का पंजीयन एवं ठेकेदारों को अनुज्ञप्ति दिलाये जाने हेतु वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित करने की अपेक्षा की गई है।

उक्त के परिपालन हेतु राज्य में नियोजित तथा ठेकेदारों द्वारा अन्य राज्यों में नियोजित करने हेतु राज्य से भर्ती करने वाले प्रवासी श्रमिकों के कल्याण के लिए कारखानों, दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थानों के नियोजकों तथा प्रबंधकों से निर्देशों का पालन कराये जाने हेतु निम्नांकित दिशा-निर्देश जारी किये जाते है -

1. प्रवासी श्रमिकों के संबंध में जहां अंतर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार (रोजगार का नियमन एवं सेवा शर्ते) अधिनियम, 1979 लागू होता है, यह सुनिश्चित किया जाये कि -